>

Title: Need to waive off small loans taken from cooperative and nationalized banks for the purchase of small transport vehicles in remote and hill areas of Himachal Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं हिमाचल राज्यों के कृषकों की ऋण माफी के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, मध्य हिमालयी राज्यों के किसानों और बागवानों को केन्द्र सरकार की किसान ऋण माफी का आंशिक लाभ मिला। जो किसान इन पर्वतीय राज्यों के सीढ़ीनुमा खेती में नगदी फसलों एवं फलों की बागवानी करते हैं, उत्पादन वृद्धि और गुणवत्ता लाने तथा अपने सब्जी एवं फलों के उत्पादन को दूर-दराज के पहाड़ी ग्रामों से सब्जी-फलों की माल ढुलाई, छोटे परिवहन जैसे कमाण्डर यूटीलिटी आदि से पहाड़ों में बनी कच्ची-पक्की सड़कों से देश की दूर-दराज मंडियों तक अनेक अड़चनों के साथ पहुंचाने के लिए इन्होंने जो सरकारी और राष्ट्रीय बैंकों से ऋण लिया था, उनके ऋण की माफी वित्त मंत्रालय ने इस दृष्टि के अन्तर्गत नहीं की। उन्होंने यह कहकर कि यूटीलिटी कमांडर से अपने खेत से बाजार तक पहुंचाना कृषि कार्य नहीं है, वह कमर्शियल कार्य है।

इस तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के अनेक बागवान जिनकी संख्या अधिक नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय एवं सहकारी बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। इनमें से ऐसे कृषक हैं, जिन्होंने मूल धन से अधिक यानी अभी तक दुगनी धनराशि चुका दी है। फिर भी 16 प्रतिशत से अधिक ब्याज के कारण बैंकों को कर्ज चुकाने के नोटिस और कर्ज न चुकाने ...(व्यवधान)

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(व्यवधान) जमीनों की नीलामी के नोटिस दिये जा रहे हैं। पिछले कई सालों से पर्वतीय राज्यों में अतिवृष्टि, तूफान, ओलावृष्टि, सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति टूटती जा रही है और अधिकांश किसान ऋण चुकाने में अक्षम हैं।

वित्त मंत्रालय और केन्द्र में बैठे महानुभावों को यह नहीं मालूम कि पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़कों पर बड़े ट्रक नहीं चल सकते। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने के लिए सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेना पड़ता है। ऐसे बागवानों और कृषकों ने अपनी यूटीलिटी और कमांडर का उपयोग कमर्शियल उत्पाद के लिए नहीं किया। निजी फसलों ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि कृषकों-बागवानों के यूटिलिटी, कमांडर के ऋण माफ किए जाएं और ऐसे ऋणों की माफी अवश्य की जाए जिन किसानों ने मूलधन दे दिया है और उसके साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज बकाया है।...(व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हिमालयी राज्यों के यातायात, परिवहन की सड़कें, दूरावस्थी मंडियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्र के यूटिलिटी, कमांडर को कृषि मशीनीकरण की उपयोगिता के अंतर्गत ऋण माफी देकर किसानों को राहत प्रदान की जाए।

MR. CHAIRMAN : You cannot make a lengthy speech during 'Zero Hour'. I request all the hon. Members to make the points very briefly within a minute or two. It is not a debate.

Now, Shri P. Kumar.